मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2534
22 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

सेंट्रल विस्टा परियोजना

2534. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा सेंट्रल विस्टा साइट से हटाए गए पेड़ों के प्रतिरोपण के लिए कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित कार्यकारी परिक्षेत्र के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से खुले क्षेत्र में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): वृक्षारोपण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के वन विभाग द्वारा यथा अनुमोदित सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। सभी परियोजनाओं के लिए दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण अर्थात प्रत्येक काटे गए या प्रत्यारोपित किए गए वृक्ष के बदले में दिल्ली के भीतर 10 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। प्रतिरोपित वृक्षों के बचाने के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा समुचित देखभाल की जा रही है।

(ग): प्रस्तावित कार्यकारी एनक्लेव के लिए कोई वृक्ष काटा नहीं जा रहा है। 487 वृक्ष प्रतिरोपित किए जाएंगे।

******